वित्तीय सेवा विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.financialservices.gov.in

Shri Narendra Modi
Hon. Prime Minister

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (संशोधित-2020)

Plan No: 856 **UIN :512G336V01**

मासिक पेन्शन के लिए **7.40%** प्रतिवर्ष
(7.66% प्रतिवर्ष के बराबर)

अच्छा लगता है
जब कोई आपका हित सोचता है

हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु

(यह योजना 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध है)

अपने अभिकर्ता/विकास अधिकारी/
एलआईसी शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट
www.licindia.in पर विज़िट करें या **SMS** करें
आपके शहर का नाम, **56767474** पर

Follow us : YouTube LIC India Forever

भारत सरकार की एक योजना, जिसके प्रबंधक हैं:

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

IRDAI Regn No.: 512

ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी.

प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की दिशा में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक और प्रयास.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
www.licindia.in

पंजीकृत कार्यालय: भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जे. बी. मार्ग, मुंबई - 400021.
पंजीकरण संख्या: 512

Sales Brochure Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana.AI (English)(Modified - 2020)
Open Size: 8 Inch (W) x 9 Inch (H) Closed Size : 4 Inch (W) x 9 Inch (H)

प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना (संशोधित-2020)

(एक नॉन लिंक्ड, असहभागी, भारत सरकार द्वारा
अनुदानित पेंशन योजना)

(UIN: 512G336V01)

1. परिचय:

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (संशोधित - 2020) प्रस्तुत की है और इस योजना के अंतर्गत पेंशन दर में संशोधन किया है और इस योजना के विक्रय की अवधि को वित्तवर्ष 2020-21 से 31 मार्च, 2023 तक की आगामी तीन सालों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना के अंतर्गत नियमों व शर्तों के अनुसार एक वर्ष के दौरान बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए पेंशन की गारंटीड दरों की समीक्षा की जाएगी और इस पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में निर्णय लिया जाएगा. प्रथम वित्त वर्ष, यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए इस योजना में 7.40% प्रतिवर्ष की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी जो मासिक रूप से देय होगी.

भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना के परिचालन के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है.

यह योजना ऑफलाइन और साथ ही साथ ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है. यह योजना ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर लॉग ऑन करें.

2. हितलाभ:

अ. पेंशन का भुगतान:

10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की उत्तरजीविता पर, बकाया पेंशन राशि (चुनी गई भुगतान विधिनुसार प्रत्येक अवधि के समापन पर) देय होगी.

ब. मृत्यु पर देय राशि:

10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को क्रय मूल्य वापस कर दिया जाएगा.

क. परिपक्वता हितलाभ:

10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के समापन तक पेंशनधारक की उत्तरजीविता पर, पेंशनधारक को पेंशन की अंतिम किस्त के साथ क्रय मूल्य देय होगा.

3. पात्रता की शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध:

अ) न्यूनतम प्रवेश आयु : 60 वर्ष (पूर्णकृत)

ब) अधिकतम प्रवेश आयु : कोई सीमा नहीं

क) पॉलिसी अवधि : 10 वर्ष

ड) न्यूनतम पेंशन : ₹ 1,000/- प्रति माह
₹ 3,000/- प्रति तिमाही
₹ 6,000/- प्रति छमाही
₹ 12,000/- प्रति वर्ष

इ) अधिकतम पेंशन : ₹ 9,250/- प्रति माह
₹ 27,750/- प्रति तिमाही
₹ 55,500/- प्रति छमाही
₹ 1,11,000/- प्रति वर्ष

इस योजना के अंतर्गत सभी पॉलिसियों, एवं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (यूआईएन: 512G311V01 एवं यूआईएन: 512G311V02 के साथ) के अंतर्गत ली गई सभी पॉलिसियों के तहत क्रय मूल्य की कुल राशि, जो किसी वरिष्ठ नागरिक के लिए अनुमत है, ₹15 लाख से अधिक नहीं होगी.

4. क्रय मूल्य का भुगतान:

इस योजना को कोई एकमुश्त क्रय मूल्य चुकाकर खरीदा जा सकता है. पेंशनधारक के पास या तो पेंशन की राशि या क्रय मूल्य में से कोई एक चुनने का विकल्प होता है.

पेंशन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत न्यूनतम एवं अधिकतम क्रय मूल्य निम्नानुसार होगा:

पेंशन की विधि	न्यूनतम क्रय मूल्य	अधिकतम क्रय मूल्य
वार्षिक	₹ 1,56,658/-	₹ 14,49,086/-
छमाही	₹ 1,59,574/-	₹ 14,76,064/-
तिमाही	₹ 1,61,074/-	₹ 14,89,933/-
मासिक	₹ 1,62,162/-	₹ 15,00,000/-

भारित होने वाला क्रय मूल्य निकटतम रुपए में पूर्णकृत होगा.

5. पेंशन भुगतान की विधि:

पेंशन भुगतान की विधि हैं मासिक, तिमाही, छमाही एवं वार्षिक. यह पेंशन भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा. इस शासकीय अनुदानित योजना के अंतर्गत पॉलिसी खरीदने के लिए अनन्य आधार संख्या का सत्यापन आवश्यक है.

पेंशन की पहली किस्त का भुगतान इसे खरीदने की तिथि से 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 1 माह पर होगा, जो कि पेंशन भुगतान की विधि, यानी क्रमश: वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक पर आधारित है.

6. नमूना पेंशन दरें, प्रति रु. 1,000/– क्रय मूल्य के लिए:

पेंशन भुगतानों की विभिन्न विधियों के लिए रु. 1,000/– क्रय मूल्य हेतु पेंशन दरें निम्नानुसार हैं :

वार्षिक:	₹ 76.60 प्रतिवर्ष
छमाही:	₹ 75.20 प्रतिवर्ष
तिमाही:	₹ 74.50 प्रतिवर्ष
मासिक:	₹ 74.00 प्रतिवर्ष

पेंशन किस्त निकटतम रुपए में पूर्णकृत होगी. ये दरें आयु पर निर्भर नहीं हैं.

7. अभ्यर्पण मूल्य:

यह योजना असाधारण परिस्थितियों, जैसे पेंशनधारक को स्वयं की या अपने जीवनसाथी की किसी गंभीर/लाइलाज बीमारी के उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता होने, में पॉलिसी अवधि के दौरान परिपक्वता पूर्व निर्गमित होने की अनुमति देती है. ऐसी स्थितियों में देय अभ्यर्पण मूल्य क्रय मूल्य का 98% होगा.

8. ऋण:

3 पॉलिसी वर्षों के पूर्ण होने के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है. इसके अंतर्गत स्वीकृत किया जा सकने वाला अधिकतम ऋण है क्रय मूल्य का 75%.

ऋण राशि के लिए भारित की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण सावधिक अंतरालों पर किया जाएगा.

30 अप्रैल, 2021 तक स्वीकृत ऋण के लिए ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए ब्याज दर है 9.5% प्रतिवर्ष.

ऋण ब्याज की वसूली पॉलिसी के अंतर्गत देय पेंशन राशि में से की जाएगी. ऋण ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन भुगतान की आवृत्ति के अनुसार संचित होगा और वह पेंशन की नियत तिथि पर बकाया होगा. हालाँकि, बकाया ऋण की वसूली निर्गम के समय पर दावा प्राप्तियों से की जाएगी. लागू ब्याज दर आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित पद्धति पर आधारित होगी.

9. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा इस योजना पर लागू

वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों और समय–समय पर लागू कर की दरों के अनुसार होगा.

भुगतान किए जाने वाले कर (जीएसटी) की राशि को इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा.

10. फ्री लुक अवधि:

यदि पॉलिसीधारक इस पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं होता/होती है, तो वह इस पॉलिसी को इसके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर (यदि पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदा जाता है तो 30 दिन) आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को लौटा सकता/सकती है.

फ्री लुक अवधि के भीतर लौटाई जाने वाली राशि स्टाम्प शुल्क के लिए शुल्कों एवं भुगतान की गई पेंशन, यदि कोई है, की कटौती करने के बाद पॉलिसीधारक द्वारा जमा किया गया क्रय मूल्य होगा.

<u>बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:</u>

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय–समय पर संशोधन अनुसार होंगे. इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार पॉलिसी को प्रश्न के लिए नहीं बुलाया जा सकता, वे प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. निम्नांकित से **3** वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा:

   अ. पॉलिसी के जारी होने की तिथि से, या

   ब. जोखिम शुरू होने की तिथि से, या

   क. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, या

   ड. पॉलिसी के लिए हितलाभ की तिथि से
   जो भी बाद में हो

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से **3** वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है :

   अ. पॉलिसी के जारी होने की तिथि से, या

   ब. जोखिम शुरू होने की तिथि से, या

   क. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, या

   ड. पॉलिसी के लिए हितलाभ की तिथि से
   जो भी बाद में हो

   इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए.

3. धोखाधड़ी का अर्थ है, निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने के इरादे से किया जाता है:

   अ. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   ब. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   क. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   ड. ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो.

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष हो.

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत–बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान–बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था. खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है.

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर **3** वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत–बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था. इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है.

7. यदि परित्याग गलत–बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से **90** दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा.

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न डालता हो. यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती.

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं. इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा.

(अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यापक सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है. पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 को देखने की सलाह दी जाती है.)

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :

2) इस धारा की प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है.

टिप्पणी: ''शर्तें लागू'' जिसके लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें.

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें.

पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें.

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ.

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम,
जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई - 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512